भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2047
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी

2047. **श्री योगेन्द्र चांदोलियाः**
श्रीमती पूनमबेन माडमः
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री यदुवीर वाडियारः
डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री जगदीश शट्टरः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री परषोत्तमभाई रुपालाः
श्री देवुसिंह चौहानः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत शामिल किया है और यदि हां, तो इसके अंतर्गत राज्य-वार कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या मिशन सक्षम आंगनवाड़ी बच्चों के समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और माताओं के कल्याण में सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और उपयोग में लाई गई;

(ग) क्या सक्षम आंगनवाड़ी मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में स्तरोन्नत किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश भर में समेकित बाल सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसज्जित आंगनवाड़ी केन्द्रों का सृजन करने में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी की क्या भूमिका है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) अंतरिम बजट वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2024-25 के दौरान सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधान-मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज देने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को छोड़कर जहाँ राज्य सरकारें एबी-पीएमजेएवाई को कार्यान्वित नहीं कर रही है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 8.15 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए

गए हैं। पीएम-जेएवाई के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) से (घ) 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए पोषण सहायता; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (3-6 वर्ष) और आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचा घटकों को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और अंतिम लाभार्थियों तक बेहतर पोषण प्रदायगी के लिए व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पुनर्गठित किया गया है। देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के नेटवर्क के माध्यम से मिशन पोषण 2.0 योजना के तहत निम्नलिखित छह सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है:
i. पूरक पोषण (एसएनपी),
ii. प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा,
iii. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा,
iv. टीकाकरण,
v. स्वास्थ्य जांच,
vi. रेफरल सेवाएं

छह सेवाओं में से तीन अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और एनएचएम और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत के एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 300 दिनों अर्थात एक महीने में औसतन 25 दिन के लिए पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम) और टेक-होम राशन (टीएचआर-कच्चा राशन नहीं) के रूप में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (पीडब्लू एंड एलएम), 6-36 महीने की आयु के बच्चे, एसएएम बच्चे और 14-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियां (सभी राज्यों के आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी जिलों में) टीएचआर प्राप्त करने की हकदार हैं और 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों से एचसीएम और सुबह का नाश्ता प्राप्त करने के हकदार हैं जहां वे पंजीकृत हैं।

पिछले पांच वर्षों में मिशन पोषण 2.0 के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ी को एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई और बाला पेंटिंग प्रदान करके पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों से बेहतर बुनियादी ढांचे से युक्त किया गया है। अब तक, कुल 1,70,337 एडब्ल्यूसी को सक्षम एडब्ल्यूसी के रूप में अद्यतन करने की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, सरकार ने एक कार्यकर्त्री वाले सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायकिका के साथ पूर्ण आंगनबाडी केंद्रों में के रूप में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पास के उन प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें, जहाँ जगह उपलब्ध हों।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को क्रियाकलापों की कुशल निगरानी करने और लाभार्थियों के लिए बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन के प्रावधान के साथ तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। यह मोबाइल एप्लिकेशन पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बनाता है। यह उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करता है और साथ ही उन्हें आंगनवाड़ी में चल रही सभी क्रियाकलापों की निगरानी के लिए अधिक समय देता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के अलावा पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को डेटा रिचार्ज सहायता प्रदान की जाती है।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर पहल करने के लिए विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को इन्फैंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, शिशु का वजन मापने वाला पैमाना, माँ और बच्चे का वजन मापने वाला पैमाना जैसे विकास निगरानी उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

आंगनवाड़ी सेवाओं सहित महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र की सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का नीति आयोग द्वारा 2020 में तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन में आंगनवाड़ी सेवा योजना के प्रभाव को संतोषजनक पाया गया। इस योजना और इसके घटकों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और सीखने, परिणामों, सुझावों और प्रस्तावों के आधार पर सरकार समय-समय पर उचित कार्रवाई करती है।

अनुलग्नक।

"मिशन सक्षम आंगनवाड़ी" के संबंध में दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2047 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन लाभार्थियों की कुल संख्या जिनके पीएम-जेएवाई के तहत आयुष्मान कार्ड (एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच) बनाए गए हैं
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	453
2	आंध्र प्रदेश	42523
3	अरुणाचल प्रदेश	1544
4	असम	59391
5	बिहार	68581
6	छत्तीसगढ़	67829
7	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	507
8	गोवा	629
9	गुजरात	49002
10	हरियाणा	17657
11	हिमाचल प्रदेश	8128
12	जम्मू एवं कश्मीर	34498
13	झारखंड	31755
14	कर्नाटक	48479
15	केरल	24444
16	लद्दाख	1449
17	लक्षद्वीप	64
18	मध्य प्रदेश	102411
19	महाराष्ट्र	70365
20	मणिपुर	5739
21	मेघालय	4523
22	मिजोरम	2376
23	नागालैंड	4591
24	पुदुचेरी	395
25	पंजाब	18481
26	राजस्थान	34874
27	सिक्किम	1227
28	तमिलनाडु	6990
29	तेलंगाना	15505
30	त्रिपुरा	7940
31	संघ राज्य क्षेत्र -चंडीगढ़	370
32	उत्तर प्रदेश	65176
33	उत्तराखंड	18065
	कुल	**815961**

अनुलग्नक II

"मिशन सक्षम आंगनवाड़ी" के संबंध में दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2047 के भाग (ख) से(घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी और उपयोग किए गए केंद्रीय अंश का विवरण:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन पोषण **2.0**								
		2019-20		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24***
		जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	14.98	13.34	16.37	6.37	19.71	13.36	3.85	5.17	12.15
2	आंध्र प्रदेश	825.24	686.20	701.82	763.99	744.60	749.91	827.79	721.45	705.68
3	अरुणाचल प्रदेश	134.71	134.79	82.92	65.01	170.83	230.77	137.78	145.74	162.06
4	असम	1365.53	1241.33	1109.75	1255.72	1319.90	1432.19	1651.63	1717.00	2233.31
5	बिहार	1539.37	1253.87	1288.98	1444.36	1574.43	1608.02	1740.09	1586.61	1859.29
6	चंडीगढ़	17.03	13.30	13.35	16.08	15.32	23.09	33.10	33.10	19.79
7	छत्तीसगढ़	483.88	548.81	513.95	542.07	606.73	522.72	668.96	571.80	579.46
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	17.20	8.24	9.02	9.02	9.33	9.56	5.80	5.80	11.97
9	दिल्ली	133.06	140.49	102.70	139.84	133.11	125.52	182.77	142.84	161.81
10	गोवा	16.02	17.02	20.44	17.46	10.84	12.92	14.71	16.83	13.95
11	गुजरात	854.00	725.25	633.13	873.79	839.86	757.92	912.64	552.30	1126.80
12	हरियाणा	181.00	149.87	185.29	232.54	173.03	146.99	195.25	150.24	225.78
13	हिमाचल प्रदेश	251.82	295.25	258.55	295.89	247.99	386.68	270.24	247.76	301.09
14	जम्मू एवं कश्मीर	332.85	328.31	294.17	450.82	405.74	704.57	479.01	416.23	530.88
15	झारखंड	436.10	455.87	464.33	348.68	352.98	183.30	430.91	596.03	664.30
16	कर्नाटक	861.87	916.51	697.17	1012.84	1003.70	984.62	765.87	885.65	912.96

17	केरल	321.42	331.23	352.03	384.79	388.23	397.98	444.98	325.43	306.64
18	लद्दाख	0.00	0.00	24.18	24.69	14.70	14.67	18.79	18.79	19.62
19	लक्षद्वीप	2.59	1.27	3.06	2.06	2.11	2.73	0.44	0.44	2.88
20	मध्य प्रदेश	1225.60	1276.10	1238.06	1125.20	1085.47	1055.83	1011.57	1038.67	1123.11
21	महाराष्ट्र	1669.40	1416.45	1205.99	1517.51	1713.39	1609.02	1646.17	1589.97	1699.52
22	मणिपुर	162.54	142.27	175.77	148.45	228.92	177.28	135.95	167.74	201.28
23	मेघालय	225.66	181.19	177.92	185.25	173.33	177.86	192.39	200.24	269.69
24	मिजोरम	63.26	56.45	74.60	64.67	59.32	61.57	42.81	46.65	100.27
25	नागालैंड	178.92	169.55	167.23	169.19	159.80	160.21	199.30	190.47	262.91
26	ओडिशा	860.66	892.46	858.68	896.85	1065.98	871.20	923.92	884.92	968.80
27	पुदुचेरी	9.86	8.45	4.38	3.50	2.78	6.13	0.12	6.68	4.48
28	पंजाब	201.44	175.11	174.71	207.82	383.52	177.94	75.31	247.25	307.87
29	राजस्थान	673.95	665.42	641.77	702.90	682.65	771.64	974.02	936.17	1091.96
30	सिक्किम	29.47	33.70	24.50	26.06	25.73	24.59	20.33	24.09	33.49
31	तमिलनाडु	764.73	652.94	619.43	695.85	655.38	681.28	766.81	741.30	880.79
32	तेलंगाना	529.96	420.08	405.32	564.04	482.33	479.30	550.69	503.33	507.87
33	त्रिपुरा	166.47	164.05	154.16	177.85	186.72	171.66	150.52	186.55	244.22
34	उत्तर प्रदेश	2544.00	2480.79	2017.49	1925.75	2407.55	2341.91	2721.87	2622.64	2668.69
35	उत्तराखंड	373.96	378.21	327.92	350.07	353.65	336.03	425.84	364.77	288.24
36	पश्चिम बंगाल	1165.26	1321.90	1066.64	897.89	668.35	1378.31	1227.59	1455.89	1237.56
कुल		**18633.81**	**17696.07**	**16105.78**	**17544.87**	**18368.01**	**18789.28**	**19849.82**	**19346.54**	**21741.17**

* वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपयोग प्रमाणपत्र अभी देय नहीं है।
